भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 866
दिनांक 24.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन

†866. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के शुभारंभ के बाद से देश में निर्मित घरेलू और सार्वजनिक शौचालयों और इन सुविधाओं के वितरण की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) विगत दस वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वच्छ भारत मिशन पर वर्ष-वार कितना वित्तीय व्यय हुआ है और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अवसंरचना को बनाए रखने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने एसबीएम की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए, विशेषकर खुले में शौच को कम करने और स्वच्छता प्रथाओं में सुधार के संबंध में, कोई व्यापक प्रभाव मूल्यांकन सर्वेक्षण कराया है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) एसबीएम 2.0 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण, सीवेज उपचार और शहर-व्यापी स्वच्छता निगरानी सहित अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ङ) क्या सरकार ने सतत् स्वच्छता के लिए कोई आगामी योजना तैयार की है और उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी तथा स्मार्ट सिटी पहलों को एसबीएम के साथ एकीकृत करने के लिए कोई रूपरेखा बनाई है और यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): वर्ष 2014 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] के अंतर्गत निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-1 में दी गई है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) और एसबीएम-यू 2.0 के तहत, निर्मित पारिवारिक और सार्वजनिक शौचालयों का राज्य-वार विवरण अनुबंध-2 में दिया गया है।

(ख): एसबीएम (जी) के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी केन्द्रीय अंश निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	**जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा**
2014-15	2849.95
2015-16	6524.53
2016-17	10509.04
2017-18	16941.96
2018-19	21629.79
2019-20	11845.71
2020-21	4947.92
2021-22	3111.37
2022-23	4925.14
2023-24	6802.58
2024-25	3622.00
2025-26 (15.7.2025 तक)	603.15

एसबीएम (जी) के तहत, सीएससी को बनाए रखने में प्रमुख चुनौतियों में नियमित उपयोग और रखरखाव के संबंध में सीमित जागरूकता, रखरखाव के लिए समर्पित धन की कमी, स्पष्ट स्वामित्व और समग्र प्रबंधन की अनुपस्थिति शामिल है। तथापि, कई राज्यों में ग्राम पंचायतें नियमित रखरखाव और सततता सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता कार्यकलाप शुरू करने, व्यावसायिक सहबद्धताओं का पता लगाने (जैसे दुकान लगाना) आदि जैसे अपने साधनों के भीतर सराहनीय प्रयास कर रही हैं।

एसबीएम (यू) के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा**
2014-15	859.48
2015-16	1108.09

2016-17	2137.24
2017-18	2540.60
2018-19	2392.52
2019-20	1298.21
2020-21	1000.22
2021-22	1969.20
2022-23	1934.50
2023-24	2392.49
2024-25	1892.86
2025-26 (18.7.2025 तक)	165.40*

*सितंबर 2024 से लागू संशोधित एसएनए-स्पर्श मॉडल के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2069 करोड़ रुपये की मूल मंजूरी जारी की गई, जिसके विरूद्ध 146.26 करोड़ रुपये के दावे मंजूर किए गए हैं। इसमें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के लिए 19.14 करोड़ रुपये का व्यय भी शामिल है।

एसबीएम-यू 2.0 के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि निर्माण किए जा रहे सभी सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय यूएलबी द्वारा जलापूर्ति व्यवस्था के अनुरूप बनाए गए हैं, जिसमें उनका संचालन और रखरखाव शामिल है।

(ग): पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) मुख्य मात्रात्मक और गुणात्मक स्वच्छता पैरामीटरों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा जिलों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी के माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी) का आयोजन करता रहा है। इन मापदंडों में मलीय गाद प्रबंधन (एफएसएम), बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन तथा ग्रेवाटर प्रबंधन (जीडब्ल्यूएम) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा जिला/ब्लॉक स्तर पर गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन) संयंत्रों, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों (पीडब्लूएमयू) और मलीय गाद प्रबंधन (एफएसएम) आस्तियों जैसी परिसंपत्तियों का भी मूल्यांकन किया गया था।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023-24

2023-2024 की अवधि के दौरान किए गए सर्वेक्षण में पूरे भारत के 729 जिलों के 17,304 गांवों और इन 17,304 गांवों में 85,901 सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, हाट/बाजार/धार्मिक स्थल आदि को शामिल किया गया। एसबीएम (जी) से संबंधित

मुद्दों पर प्रतिक्रिया के लिए लगभग 2,60,059 परिवारों का साक्षात्कार लिया गया। एसएसजी 2023-24 के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- सर्वेक्षण में शामिल 95.1% परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध है
- 39.9% परिवारों ने अपने कचरे को बायोडिग्रेडेबल (कार्बनिक) और गैर-बायोडिग्रेडेबल (अकार्बनिक) श्रेणियों में अलग करने की सूचना दी
- 92.7% परिवारों ने बायोडिग्रेडेबल (कार्बनिक) कचरे के निपटान के लिए कुछ व्यवस्था होने की सूचना दी
- 78.7% परिवारों के पास ग्रेवाटर के निपटान के लिए कुछ व्यवस्था थी
- 45.0% गांवों में ठोस कचरे के संग्रहण और ढुलाई के लिए समर्पित या साझा वाहन थे
- 29.4% गांवों में भंडारण और पृथक्करण शेड थे
- 62.1% गांवों में प्लास्टिक कचरे के लिए फॉरवर्ड लिंकेज पाया गया
- 91.1% सार्वजनिक स्थानों पर उनके परिसर में न्यूनतम स्थिर पानी था
- सर्वेक्षण में शामिल 76.7% सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों की सुविधा उपलब्ध है
- सर्वेक्षण किए गए 437 में से शहरी लिंकेज वाले 83.8% एफएसटीपी/एसटीपी कार्यशील पाए गए
- सर्वेक्षण किए गए 1,029 पीडब्ल्यूएमयू में से 61.4% पीडब्लूएमयू कार्यशील पाई गई
- सर्वेक्षण किए गए 451 संयंत्रों में से 58.5% गोबरधन/बायोगैस संयंत्र कार्यशील पाए गए

एमओएचयूए के तहत, व्यापक वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण (स्वच्छ सर्वेक्षण) 2016 से आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य शहरों को उनकी स्वच्छता के आधार पर रैंक करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, जागरूकता बढ़ाना और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। अब तक, कुल 4910 यूएलबी में से 4692 यूएलबी को ओडीएफ स्थिति, 4314 यूएलबी को ओडीएफ+ स्थिति, 1973 यूएलबी को ओडीएफ++ के रूप में और 214 यूएलबी को वाटर+ के रूप में प्रमाणित किया गया है।

(घ) से (ङ): स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण-II का मुख्य उद्देश्य गांवों में खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यकलापों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तरों में सुधार लाना है, ताकि गांवों को ओडीएफ प्लस बनाया जा सके। एसबीएम (जी) चरण-II के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, गांवों को कृषि और मवेशी अपशिष्ट सहित बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तिगत तथा सामुदायिक खाद गड्ढे तथा प्लास्टिक कचरे के लिए पर्याप्त पृथक्करण तथा संग्रहण प्रणाली प्रदान की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए 5,000 तक की आबादी वाले गांवों के लिए 60 रुपये प्रति व्यक्ति तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है और 5,000 से ऊपर की आबादी वाले

गांवों के लिए 45 रुपये प्रति व्यक्ति की वित्तीय सहायता उपलब्ध है। इसमें कचरा संग्रहण वाहनों की खरीद और गांव या ग्राम पंचायत स्तर पर भंडारण तथा पृथक्करण शेड का निर्माण भी शामिल होगा।

कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में ब्लॉकों का समूह बनाना संभव न होने की स्थिति में प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई (पीडब्ल्यूएमयू) का भी प्रावधान है। ब्लॉक स्तर पर पीडब्लूएमयू के निर्माण के लिए प्रति ब्लॉक 16 लाख रुपये तक का प्रावधान किया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) के उद्देश्य से तथा देश के सभी शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) शुरू किया। हासिल की गई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 को 01 अक्टूबर, 2021 को पांच वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया है, जिसमें 100% स्रोत पृथक्करण, घर-घर जाकर कचरा संग्रहण और वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान सहित कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करने का विज़न है। इसका उद्देश्य सभी पारंपरिक कूड़ा स्थलों की साफ-सफाई तथा उन्हें ग्रीन ज़ोन में परिवर्तित करना भी है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी पूरे शहरी भारत में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। शहरी स्थानीय निकाय/राज्य सरकार अपनी आवश्यकतानुसार उपचार प्रौद्योगिकियों का चयन कर सकती हैं, जिससे उन्हें केंद्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) मैनुअल और समय-समय पर जारी की जाने वाली सलाह में उल्लिखित किसी भी सिद्ध तकनीक का चयन करने की अनुमति मिलती है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के खंड 15(v) के अनुसार, यूएलबी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित तकनीकों सहित उपयुक्त तकनीकों को अपना सकते हैं:

- जैव-मिथेनेशन, माइक्रोबियल कम्पोस्टिंग, वर्मी-कम्पोस्टिंग, एनारोबिक डाइजेशन या बायोडिग्रेडेबल कचरे के जैव-स्थिरीकरण के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रसंस्करण;
- अपशिष्ट से ऊर्जा प्रक्रियाओं में अपशिष्ट के दहनशील अंश के लिए व्युत्पन्न ईंधन या ठोस अपशिष्ट आधारित बिजली संयंत्रों या सीमेंट भट्टों को फीडस्टॉक के रूप में आपूर्ति शामिल है।

इसके अलावा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सहयोग से अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में विकास स्टार्टअप तथा उद्यमियों के लिए एक सक्षम माहौल को बढ़ावा देने हेतु चुनौती मोड के माध्यम से स्टार्ट-अप की पहचान की जाती है। शॉर्टलिस्ट किए गए संगठनों को एक वर्ष की इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (एसआईआईसी), आईआईटी, कानपुर में एक केंद्र स्थापित किया गया है।

*****

दिनांक 24-07-2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 866 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वर्ष 2014 से एसबीएम (जी) के अंतर्गत निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मित आईएचएचएल की संख्या	निर्मित सीएससी की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	23,195	320
2	आंध्र प्रदेश	43,77,930	15,167
3	अरुणाचल प्रदेश	1,55,083	3,087
4	असम	42,20,757	4,669
5	बिहार	1,39,37,403	9,364
6	छत्तीसगढ़	35,71,837	13,947
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	21,952	69
8	गोवा	30,361	589
9	गुजरात	43,86,216	8,094
10	हरियाणा	7,29,993	5,904
11	हिमाचल प्रदेश	2,27,288	6,043
12	जम्मू एवं कश्मीर	14,08,053	5,520
13	झारखंड	41,97,259	1,253
14	कर्नाटक	50,50,952	2,840
15	केरल	2,67,334	1,966
16	लद्दाख	22,559	433
17	लक्षद्वीप	10	22
18	मध्य प्रदेश	77,64,409	19,711
19	महाराष्ट्र	71,72,770	28,830
20	मणिपुर	2,77,553	1,150
21	मेघालय	3,15,930	1,282
22	मिजोरम	47,403	656
23	नागालैंड	1,50,192	1,438
24	ओडिशा	74,65,851	3,200
25	पुदुचेरी	29,841	11
26	पंजाब	5,67,595	6,641
27	राजस्थान	84,95,050	25,776
28	सिक्किम	24,983	715
29	तमिलनाडु	60,24,612	9,091
30	तेलंगाना	31,33,069	6,094
31	त्रिपुरा	4,99,623	615
32	उत्तर प्रदेश	2,54,79,144	62,396
33	उत्तराखंड	5,44,982	3,015
34	पश्चिम बंगाल	84,61,077	10,074
	कुल:-	**11,90,82,266**	**2,59,982**

दिनांक 24-07-2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 866 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वर्ष 2014 से एसबीएम (यू) के अंतर्गत निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) और सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मित आईएचएचएल की संख्या	निर्मित सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की संख्या (सीटों की संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	2,43,764	17,799
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	336	609
3	अरुणाचल प्रदेश	11,606	89
4	असम	78,788	3,356
5	बिहार	4,04,444	28,677
6	चंड़ीगढ़	6,117	2,512
7	छत्तीसगढ़	3,26,435	18,832
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	2,378	615
9	दिल्ली	779	28,256
10	गोवा	3,801	1,270
11	गुजरात	5,60,046	24,149
12	हरियाणा	66,751	11,374
13	हिमाचल प्रदेश	6,743	1,700
14	जम्मू एवं कश्मीर	51,246	3,451
15	झारखंड	2,18,700	9,643
16	कर्नाटक	3,93,278	36,556
17	केरल	37,207	2,872
18	लद्दाख	434	194
19	मध्य प्रदेश	5,79,642	29,867
20	महाराष्ट्र	7,23,473	1,66,465
21	मणिपुर	40,708	581
22	मेघालय	1,604	152
23	मिजोरम	15,495	1,324
24	नागालैंड	21,471	238
25	ओडिशा	1,67,306	12,211
26	पुदुचेरी	5,189	836
27	पंजाब	1,03,683	11,522
28	राजस्थान	3,68,515	31,300
29	सिक्किम	1,559	268
30	तमिलनाडु	5,45,101	92,744
31	तेलंगाना	1,57,165	15,465
32	त्रिपुरा	24,002	1,089
33	उत्तर प्रदेश	9,00,438	70,370
34	उत्तराखंड	28,058	4,694
35	पश्चिम बंगाल	2,82,542	5,746
	कुल:-	**63,78,804**	**6,36,826**